रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1659] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2015/श्रावण 16, 1937
No. 1659] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2015/SHRAVANA 16, 1937

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2015

का.आ. 2153(अ).—होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन) विनियम, 1976 के विनियम 3 और 4 के साथ पठित होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम,1973 (1973 का 59) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (जिसे इसके पश्चात् उक्त परिषद् कहा गया है) के सदस्यों ने 27 नवम्बर, 2014 को आयोजित बैठक में डा. रामजी सिंह को उक्त परिषद् का अध्यक्ष और डा. भष्मे अरूण कुमार नीलकंठ राव को परिषद् के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त परिषद् के अध्यक्ष के रूप में डा. रामजी सिंह और उपाध्यक्ष के रूप में डा. भष्मे अरूण कुमार नीलकंठ राव के निर्वाचन को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. जेड.28016/9/2014-सीसीएच निर्वाचन]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड(ii) में मूल अधिसूचना संख्या का.आ. 482(अ), तारीख 06 अगस्त, 1974 द्वारा जारी की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 2881(अ), तारीख 06 नवम्बर, 2009 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi the 6th August, 2015

S.O. 2153(E).—Whereas the members of the Central Council of Homoeopathy (hereinafter referred to as the said Council) have, in pursuance of sub-section (2) of Section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) (hereinafter referred to as the said Act), read with regulations 3 and 4 of the Homoeopathy Central Council (Election of President and Vice- President) Regulations, 1976, elected at the meeting of the said Council held on the 27th November, 2014, Dr. Ramjee Singh as the President and Dr. Bhasme Arun Kumar Nilkanthrao as the Vice- President of the said Council.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 3 of the said Act, the Central Government hereby notifies the election of Dr. Ramjee Singh as the President and Dr. Bhasme Arun Kumar Nilkanthrao, as the Vice-President of the said Council.

[F. No. Z.28016/9/2014/CCH Election]

ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part–II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 482(E), dated the 6th August, 1974 and last amended vide notification under S.O. 2881(E), dated the 6th November, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.